रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112025-267459
CG-DL-E-07112025-267459

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4906] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 7, 2025/कार्तिक 16, 1947
No. 4906] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 7, 2025/KARTIKA 16, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2025

का.आ. 5061(अ).— केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (इसमें इसके पश्चात "आयकर अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा "अयोध्या विकास प्राधिकरण" (पैन: AAALA0206C)" (इसमें इसके पश्चात "निर्धारिती" के रूप में संदर्भित), जोकि उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम 1973 का 11) के अंतर्गत गठित एक प्राधिकरण है, को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2024-2025 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि करदाता आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (क) में निर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों के साथ उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम 1973 का 11) के अंतर्गत गठित प्राधिकरण बना रहे।

[अधिसूचना सं. 159 /2025/फा. सं. 300195/58/2024-आईटीए-I]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।